


21.10.2022:—पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी का मूल वाद-पत्र खारिज होने के कारण इस प्रार्थना-पत्र मे कौई कार्यवाही शेष नही रही। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

